२६.५ आज यह पत्रावली वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। वादी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि लोक अदालत की प्रेरणा से प्रतिवादी गण के साथ राजीनामा हो गया। अतः वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत वाद-वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होकर तामील दे का हो।

रणवीर सिंह

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.06.20 12:14:16 IST
Reason: SelfAttested